लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें

1. ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड पूर्व में ही बन चुका है :–

- ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड पूर्व में ही बन चुका है, ऐसे परिवारों के अन्य अवशेष सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु जनसेवा केन्द्र/आरोग्य मित्र/अन्य एजेंसी में पूर्व में ही निर्गत आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत किया जाये।

- यदि लाभार्थी अपने परिवार में किसी सदस्य के पूर्व में ही बने हुये आयुष्मान कार्ड को साथ में नहीं लाया है तो उसकी फोटो प्रति अथवा वॉट्सएप में उसकी फोटो प्रस्तुत की जाये।

- लाभार्थी द्वारा अपने परिवार में किसी सदस्य के पूर्व में ही बने हुये आयुष्मान कार्ड का नम्बर प्रस्तुत करने पर भी आयुष्मान कार्ड बना दिया जायेगा।

- यदि लाभार्थी द्वारा अपने परिवार में किसी सदस्य के पूर्व में ही बने हुये आयुष्मान कार्ड अथवा उसका नम्बर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा परिवार के सदस्य का पूर्व में बना हुआ आयुष्मान कार्ड जिसे राशन कार्ड के आधार पर बनाया गया था, तो ऐसी दशा में राशन कार्ड (या राशन कार्ड का नम्बर) प्रस्तुत करने पर भी परिवार के शेष सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना दिया जायेगा।

''उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।''

2. ऐसे परिवार जिनमें किसी भी सदस्य का पूर्व में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है :–

i) यदि लाभार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य का पूर्व में आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो ऐसी दशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत बने राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बना दिया जायेगा। ऐसे नये परिवार के उन सभी सदस्यों जिनका नाम राशन कार्ड में है, के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेगें। आयुष्मान कार्ड बनाते समय NFSA राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा अथवा राशन कार्ड का नम्बर बताना होगा। **इस के अतिरिक्त लाभार्थी को आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

ii) यदि लाभार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य का पूर्व में आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तथा परिवार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का राशन कार्ड भी नही है, तो ऐसी दशा में यदि लाभार्थी का नाम सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डाटा बेस में उपलब्ध है तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बना दिया जायेगा। ऐसे लाभार्थी को परिवार आई0डी0 प्रस्तुत करनी होगी। यह परिवार आई0डी0 पुराना राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर/अन्य सरकारी आई0डी0 हो सकती है। **इस के अतिरिक्त लाभार्थी को आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**